(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) गैर-कृषि मौसम के दौरान 18 से 60 वर्ष की आयु के शारीरिक रूप से सक्षम सभी ग्रामीण गरीबों की दैनिक मजदूरी संबंधी 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्तूबर, 1993 से शुरू की गई थी। सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत निधियां केन्द्र और राज्य के बीच 80:20 के अनुपात में वहन की जाती हैं। प्रारम्भ में यह योजना गुजरात के वदोदरा जिले के 5 खण्डों, भड़ौच जिले के 7 खण्डों, सूरत जिले के 13 खण्डों और पंचमहल जिले के 11 खण्डों, सहित देश के उन सभी खण्डों में लागू की गई थी जहां पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाई जा रही है।

(ख) और (ग) 1993–94 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सहायता के भाग के रूप में वदोदरा जिले को 25 लाख रुपए भड़ौच जिले को 35 लाख रुपए, सूरत जिले को 65 लाख रुपए और पंचमहल जिले को 55 लाख रुपए रिलीज किए गए थे। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत पंचमहल जिले द्वारा इस्तेमाल न की गई राशि 33.60 लाख रुपए थी जबकि वदोदरा, भड़ौच और सूरत जिलों ने 1993–94 के दौरान "शून्य" खर्च की सूचना दी है। निधियों के इस्तेमाल न करने का मुख्य कारण यह था कि योजना नई थी और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को इससे परिचित होने और इसे लागू करने में कुछ समय लगा।

तथापि कार्य ने अब गति पकड़ ली है और राज्य में फरवरी 1995 तक 20.25 लाख श्रम दिन का रोजगार सृजित करने हेतु 1014.82 लाख रुपए खर्च किए गए हैं संदर्भनाधीन चार जिलों में खर्च और सृजित रोजगार के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :

जिला	(लाख रु० में) 1994–95 के दौरान फरवरी 95 तक खर्च	(लाख श्रम दिन) सृजित रोजगार
1. बदोदरा	52.10	0.78
2. भडौच	105.83	2.12
3. सूरत	70.74	0.81
4. पंचमहल	251.58	4.82

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल योजनाओं पर खर्च की गई धनराशि

761. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन तथा त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रमों के अन्तर्गत पेयजल सुविधा के विस्तार के लिए वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान प्रत्येक वर्ष में राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध करवायी गयी ;

(ख) खर्च की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्यवार कितने नलकूपों का खनन किया गया और कितने हैंडपम्प लगाए गए तथा हैंडपम्पों के लगाए जाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) उक्त वर्षों के दौरान भूमिगत जल संसाधनों के परिरक्षण और पारम्परिक पेयजल संसाधनों के परिरक्षण तथा विकास के लिए खर्च की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) और (ख) सूचना अनुपत्र में दी गई है । [देखिए परिशिष्ट 175, अनुपत्र सं० 23]

(ग) खोदे गए ट्यूबवैलों सहित लगाए गए हैंडपम्पों की संख्या का विवरण केन्द्र द्वारा नहीं रखा जाता है । तथापि, उपर्युक्त निवेश से लाभान्वित जनसंख्या अनुपत्र में दर्शाई गई है [देखिए परिशिष्ट 173, अनुपत्र सं० 23]

(घ) सूचना अनुपत्र मे दी गई है [देखिए परिशिष्ट 173 अनुपत्र सं० 23]

Watershed Management

762. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are giving increasing importance to watershed management; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) and (b) Since 1987 emphasis under Drought Prone Areas Programme (DPAP) and Desert Development Programme (DDP) has been to implement these programmes in at best one watershed in each of the blocks covered under the programmes. A detailed review of DPAP and DDP by a Technical Committee headed by Dr. C. H. Hanumantha Rao recommended increasing importance to watershed management. Accordingly, area development from 1995-96 onwards will be undertaken on watershed basis only. Area of each watershed would be about 500 hectares and as far as possible would cover a village. Planning and implementation of the watershed projects would be entrusted to the democratically constituted local self government institutions like Gram Panchayats, Panchayat Samities, Zilla Parishads and voluntary organisations. Planning for watershed development will be done by the Watershed Association comprising of all members of the Gram Panchayat with technical support from a Project Implementation Agency, which may be the District Rural Development Agency, Zilla Parishad, local agriculture university, research institute, government undertaking, voluntary organisation etc. Under the overall supervision and control of the Watershed Association, the day-to-day activities of the water shed development project will be carried out by a Watershed Committee, which would be nominated body of the Watershed Association. Monitoring and review of the progress of implementation of watershed development projects would be conducted at District Rural Development Agency/ Zilla Parishad, state and central levels.

Proposals to form Watershed Committees and Watershed Associations

763. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to form Watershed Committees and Watershed Associations;

(b) whether this experiment has been tried anywhere on a pilot basis; and

(c) if so, the details thereof?